न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 87/2021

सरोराज सिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत निवासी रेनगढ़ तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री लवकुल गौड

दायरा दिनांक: 30.07.2021 निर्णय दिनांक : 21.10.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 101 खसरा नं0 252 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 48/382 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 85/388 रकबा 0.47 है0 कुल क़िता 3 कुल रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह के स्थान पर सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह है। जिसको वादी सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह के स्थान पर सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कॉर्ड, पेनकार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह के स्थान पर सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह के स्थान सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 30.07.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–LR/2021/SP-2 दिनांक 20.10.2021 के जिसके अनुसार सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत को सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत व सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

ति राजपूत एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह के स्थान पर सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं व रामेशवर पुत्र रामपाल जाति गुर्जर निवासी रेनगढ़ के आधार पर आराजी खाता संख्या 101 खसरा नं0 252 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 48/382 रकबा 0.76 है0, खसरा नं0 85/388 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.35 है0 वाके ग्राम रेनगढ़ तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम सर्वराजसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत के स्थान पर सरोराजसिंह पुत्र कान्हसिंह जाति राजपूत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प महलपुर मजमेंआम में सुनाया गया।

(अर्जुन सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner